कार्यालय जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर

पत्रांकः C-118 /30/मनरेगा–सेल/2016–17 दिनॉकः 14 अप्रैल, 2016

–:कार्यालय आदेश:–

विषयः– पायका योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में चयनित ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना से खेल मैदानो को विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के क्रम में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा जारी नवीनतम मार्ग निर्देश 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अध्याय–7 के पैरा 7.1.3 भाग (XVB) द्वारा खेल मैदान का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु जनपद की समस्त विकास खण्डों में **165** खेल मैदान का विकास करते हुए लगभग 88440 मानव दिवसों का सृजन किया जायेगा। अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार एवं खेल मंत्रालय द्वारा ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु चलाई जा रही योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में चयनित किये गये ग्राम पंचायत के खेल मैदानों का निम्नवत लक्ष्य निर्धारित किया गया हैः–

क्र0 सं0	विकास खण्ड	कुल चयनित ग्राम पंचायत
1	बण्डा	11
2	भावलखेड़ा	16
3	ददरौल	11
4	कॉट	09
5	मदनापुर	10
6	जलालाबाद	14
7	मिर्जापुर	11
8	कलान	13
9	खुटार	05
10	पुवॉया	10
11	सिंधौली	10
12	निगोही	11
13	जैतीपुर	08
14	कटरा खुदागंज	11
15	तिलहर	13
	योग	165

2– खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड में तैनात अवर अभियंता/तकनीकी सहायकों से स्थलीय स्थिति के अनुसार सहायक अभियंता, डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा तैयार किये गये **संलग्न** मॉडल प्राक्कलन के आधार पर आंगणन सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति सहित तैयार कराकर तथा ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों की कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए उपायुक्त (श्रम रोजगार) को दिनॉक 30.04.2016 तक सूचना उपलब्ध कराते हुए योजना का कियान्वयन करायेगें।

3– खेल मैदान विकास परियोजना हेतु समस्त खण्ड विकास अधिकारियों/अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों/अवर अभियंता/तकनीकी सहायकों/ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारियों की दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जनपद स्तर पर दिनॉक 05.04.2016 एवं 07.04.2016 को आयोजित किया गया। जिसमें जिला युवा कल्याण अधिकारी, शाहजहाँपुर एवं जिला कीड़ा अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा इस योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए खेल मैदान को विकसित करने हेतु जानकारी प्रदान की गयी।

4– इस कार्यक्रम के जनपद स्तर पर उपायुक्त (श्रम रोजगार) नोडल अधिकारी होगें, जो खण्ड विकास अधिकारियों से योजना के समन्वय का कार्य करेगें।

5– सभी कार्यो पर कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य चलते समय तथा कार्य समाप्त होने के बाद के स्थायी बेंच मार्क के साथ फोटो ग्राफ लिये जायेगें।